RR केकड़ी 5/7/2015/225 सुखदेव v/s पन्ना वगै.

तारीख पेशी	बनाम 2015/00175 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर CIA-6 श्री R.P. शर्मा .... श्री खड़गसिंह / तुरंत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.9.18	यह पत्रावली वास्ते आदेश अपील हेतु पेश की गई। प्रार्थना पत्र व अपील में दिनांक 14.09.2018 को अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 724, 725, 727, 728, 752 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा उक्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर 286 व 287 हैं और रकबा 22 –14–00 बीघा हैं। उक्त आराजी वादीगण/प्रार्थीगण की खातदेारी की आराजी हैं और प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। अप्रार्थीगण/प्रतिवादी ऐन केन प्रकारण प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। खसरा नम्बर 723 में कुऑ शामलाती है और शामिल में कुऑ खोदा गया था। पर्वूजो के समय से ही कुँआ शामलाती हैं और कुए से शामिल में पिलाई होती चली आं रही हैं। इसलिए वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई एवं वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 723 को वादी के हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया गया जावें। वाद पत्र के कथनो अुनसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम भी प्रस्तुत कि जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.02.2012 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2012 से व्यथिंत होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं इसके बावजूद मौका रिपोर्ट को नजरदांज कर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी, केकंड़ी द्वारा पारित आदेश इस तरह पारित किया गया है जैसे मूल वाद का ही निस्तारण कर दिया गया हो जबकि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण में इस तरह के आदेश पारित नहीं किया जा सकता हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 28.02.2012 को निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 724, 725, 728, 752 स्थित ग्राम आमली की आराजिया रेस्पोडेन्टस की खातेदारी की आराजी हैं जिस पर रेस्पोडेन्टस का कब्जा काश्त हैं। अपीलांट रेस्पोडेन्टस को नाजायज परेशान व हैरान करने के लिए वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। आराजी खसरा नम्बर 724 व 723 पर अपीलांट के कब्जा करने की नियम से गलत वाद प्रस्तुत किया हैं। विवादित आराजी पर अपीलांट का ना तो कब्जा काश्त और ना राजस्व रेकार्ड में अंकन हैं।	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

केकड़ी
RR 517/15/225 सुखदेव v/s बन्ना वगै.

अपील संख्या 517/2015 (2015/00175)/225
सुखदेव बनाम बन्ना वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2015/00175 LA 6 श्री R-P- शर्मा .....श्री अक्षय सिंह 1 ने 5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावें। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की प्रति व प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी वर्तमान जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट्स के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। रिकार्डेड खातेदार का जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता हैं। धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण के तथ्यों, प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने स्वविवेक के आधार पर जा आदेश पारित किये हैं, उन्हे किसी भी दृष्टिकोण से मनमाना आदेश नहीं का जा सकता इसलिए अपील मे हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। **अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** 26/9/18 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	